न्यायालय जिला कलक्टर एवं आर्बिट्रेटर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी : जसमीत सिंह संधू (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 37 / 2020 (फोरलेन)

उनवान

1 श्री मोहम्मद हुसैन पिता शेर मोहम्मद पठान, निवासी धूलखेडा तहसील भीलवाडा, जिला भीलवाडा।

–प्रार्थी

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति), एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रशासन भीलवाडा।
2. परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, 6–ए–1, आर0सी0 व्यास कॉलोनी भीलवाडा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा, जिला भीलवाडा।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–3जी–5 राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 विरुद्ध अवार्ड क्रमांक / 2019 / प्रतिकर / 188 / 2018 दिनांक 21.01.2020

उपस्थित –

1 अधिवक्ता प्रार्थी– श्री राकेश कुमार सुराणा।

2. अधिवक्ता अप्रार्थी – श्री रामप्रकाश शर्मा, हरीश चन्द्र शर्मा, विनोद शर्मा।

निर्णय

दिनांक :13 –08–2025

1– प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 3–जी–5 एनएच एक्ट 1956 के तहत प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि विपक्षी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग–79 को 6 लेन रोड़ चौड़ा करने हेतु धारा–3डी दिनांक 01.03.2018 से राजस्व ग्राम धूलखेड़ा आराजी नम्बर 553 में से अवाप्ताधीन भूमि के सम्बन्ध में मुआवजा राशि निर्धारित कर प्रार्थी की भूमि एवं निर्माण के सम्बन्ध में 9,53,850 /– रुपये का अॅवार्ड जारी कर उक्त भूमि अवाप्त की गई। प्रार्थी की पक्के निर्माणशुदा मय निर्माण सहित अवाप्त की गयी। अवाप्ति की मुआवजा निर्धारण करते समय प्रार्थी की उक्त जायदाद का बाउन्ड्रीवाल व बोरिंग लगा हुआ, जिसका सिविल मेजरमेन्ट नहीं हुआ हैं और प्रार्थी के बोरिंग व बाउन्ड्रीवाल के मुआवजे का कोई निर्धारण नहीं किया गया। प्रार्थी की आराजी में प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य का मकान बना हुआ है। जिसका पट्टा सक्षम अधिकारी ग्राम पंचातय मालोला द्वारा जारी किया गया है। प्रार्थी की कुलिया 5170 वर्गफिट निर्माण सहित अवाप्त की गई हैं, जिसके प्रतिकर की राशि 9.54,850 /– रुपये अदा किये जो काफी कम अदा किये। भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग से लगती हुई भूमि का मुआवजा वाणिज्यिक दर से देय होना होता है, लेकिन आवासीय दर से ही अदा किया जिस मुआवजे की पुर्ननिर्धारण एवं मुआवजा निर्धारण हेतु आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया।

2– प्रार्थी की निर्माणशुदा मकान सहित भूमि अवाप्त की गई है। मकान व भूमि अवाप्ति के अॅवार्ड में भी कोई अकन नहीं किया गया। जिस पर प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 1 के कार्यालय में बोरिंग व बाउन्ड्रीवाल का सिविल मेजरमेन्ट करवाकर अॅवार्ड जारी करवाने हेतु प्रार्थना–पत्र 14 / 01 / 2018 को प्रस्तुत किया। जिस पर काफी समय बाद विपक्षी संख्या 1 द्वारा दिनांक 08.02.2019 को एक पत्र भूमि अवाप्ति / प्रतिकर / प्र.स. / 188 / 2018 का विपक्षी संख्या 2 व 3 को पत्र जारी किया।

जसमीत सिंह संधू
जिला कलक्टर

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध
10— समस्त दस्तावेजात का परीक्षण किया गया। जिसके अनुसार पाया गया कि— राष्ट्रीय राजमार्ग 79 को चौडा करने हेतु अधिसूचना धारा 3 डी दिनांक 01.03.2018 के अन्तर्गत राजस्व ग्राम धूलखेडा की आराजी नम्बर 553 में से प्रार्थी की भूमि अवाप्त कर भूमि व निर्माण के संबंध में मुआवजा राशि 9,53,850/— रूपये का अवार्ड जारी दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को दिनांक 18.09.2018 से अवगत कराया गया कि अवाप्तधीन भू—भाग एवं उस पर निर्मित संरचनाओं के प्रतिकर निर्धारण के संबंध में दस्तावेज, पंजीकृत विक्रय पत्र एवं निर्माण सरंचना के फोटोग्राफ सक्षम भूमि अवाप्ति अधिकारी के समक्ष 05 दिवस में प्रस्तुत करने थे, लेकिन प्रार्थी द्वारा उक्त समयावधि में कोई दस्तावेज पेंश नहीं किये गये। तद्पश्चात समक्ष प्राधिकारी द्वारा दिनांक 13.11.2018 को अवार्ड पारित किया गया।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा राशि का निर्धारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिनांक 13.11.2018 का अवार्ड पारित किया गया जो कि विधिनुसार पूर्णतया सही पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3—जी—5 एनएचएआई एक्ट स्वीकार योग्य नहीं ठहरता है। अतएव —

आदेश

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा विवेचन अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी (सक्षम प्राधिकारी) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), भीलवाडा को मूल अभिलेख मय निर्णय प्रति के साथ लोटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जसमीत सिंह संधू)
जिला कलक्टर (आर्बिट्रेटर)
भीलवाडा

जसमीत सिंह संधू
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा